

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अ धि सू च ना ॥


पटना-15, दिनांक-13-7-16

संख्या-14/प्रो० 106/2016 सा०प्र०-9689 / बिहार प्रशासनिक सेवा के अपर समाहर्ता स्तर (पे-बैंड ₹ 15,600-39,100/-, ग्रेड पे ₹ 7,600/-), के पदाधिकारी श्री अरुण कुमार, कोटि कमांक-346/11, अपर समाहर्ता, सुपौल (अतिरिक्त प्रभार- प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त, सुपौल, अति० प्रभार- उप विकास आयुक्त, सुपौल) को विभागीय परिपत्र सं०-4800 दिनांक-1.04.2016 के आलोक में संयुक्त सचिव/समकक्ष स्तर (पे-बैंड ₹ 37,400- 67,000/-, ग्रेड पे ₹ 8,700/-) में दिनांक-18.06.2014 के प्रभाव से वैचारिक रूप से औपबधिक प्रोन्नति दी जाती है ।

2. श्री अरुण कुमार, बि०प्र०से०, कोटि कमांक-346/11 द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक के लिये संयुक्त सचिव/ समकक्ष स्तर में उत्कमित करते हुये उन्हें उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है ।


3. श्री कुमार को पदभार ग्रहण करने की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(अनिल कुमार)
सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक 14/प्रो० 106/16 सा०प्र०-9689 / पटना-15, दिनांक- 13-7-16

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना / मंत्रिपरिषद् के बैठक दिनांक-12.07.2016 के मद सं०-03 के आलोक में संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा/ जिला पदाधिकारी, सुपौल/ जिला कोषागार पदाधिकारी, सुपौल/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ श्री अरुण कुमार, अपर समाहर्ता, सुपौल (अतिरिक्त प्रभार- प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त, सुपौल, अति० प्रभार- उप विकास आयुक्त, सुपौल)/ प्रबंधक, आई० टी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सी०डी० तैयार कर वित्त विभाग, बिहार, पटना को भेजने हेतु /सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के सभी पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के विशेष सचिव ।